रजि. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, सोमवार, 4 जनवरी 1993/पौष 14, 1914
No. 1] NEW DELHI, MONDAY, 4th JANUARY 1993/PAUSA 14, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1993

सा.का.नि. 1(अ).--वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिये कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दिए जाने की तारीख से तीन मास के पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (संशोधन) नियम, 1993 है।

(2) ये नियम 1 जुलाई, 1993 को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में :--

(I) नियम 47 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"47 क--अनुज्ञप्ति धारक के लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता--किसी व्यक्ति को तब तक अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी जब तक उसके पास अनुसूची--2 में अधिकथित शैक्षिक अर्हता न हो।"

परन्तु उन उम्मीदवारों को जो इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को या उससे पूर्व किसी भी उड़ान क्लब अथवा संस्थान में प्रशिक्षण के लिये भर्ती हुये हों, इस नियम के प्रयोग से छूट होगी।

(II) अनुसूची 2 में, --

(क) खण्ड "घ, ङ, च, ड, ढ, ण, त और थ के पैराग्राफ 1 के पैरा (क) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्--

"(क) (क) शैक्षिक अर्हता--

अभ्यर्थी किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र और गणित में 10+2 या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो"।

(ख) खण्ड त में, पैरा (ग) के अंतर्गत निर्धारित विद्यमान शैक्षिक अर्हता हटा दी जाएगी।

[फाइल संख्या ए.वी. 11012/9/91--ए]
पी. के. बैनर्जी,

पाद टिप्पणी—मूल नियम दिनांक [illegible] मार्च 193[illegible] की अधिसूचना संख्या वी-26 के द्वारा [illegible] के [illegible] दिनांक 2[illegible] मार्च, 1937 को प्रकाशित किये गए थे और बाद में निम्नलिखित [illegible] अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधित किये गये :—

(1) संख्या जी. एस. आर. 1238 दिनांक 8-9-1962

(2) संख्या जी. एस. आर. 881 दिनांक 6-6-1964

(3) संख्या जी. एस. आर. 129 दिनांक 16-1-1965

(4) संख्या जी. एस. आर. 711 दिनांक 3-5-1965

(5) संख्या जी. एस. आर. 182 दिनांक 17-1-1969

(6) संख्या जी. एस. आर. 1045 दिनांक 21-4-1969

(7) संख्या जी. एस. आर. 411 दिनांक 15-3-1971

(8) संख्या जी. एस. आर. 1235 दिनांक 1-12-1984

(9) संख्या जी. एस. आर. 292 (ई) दिनांक 2[illegible]-1985

(10) संख्या जी. एस. आर. 471 (ई) दिनांक 1-6-1985

MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM

(Department of Civil Aviation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 1993

GSR 1(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of three months from the date on which copies of this notification published in the official gazette are made available to the public.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT & RULES

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the 1st day of July, 1993.

2. In the Aircraft Rules, 1937—

(i) after rule 47, the following rule [illegible] inserted, namely :—

"47A. Minimum educational qualific[illegible] for holding a licence.—No person [illegible] be granted a licence unless he pos[illegible] the educational qualification laid [illegible] in Schedule II :

Privided that candidates al[illegible] enrolled for training on or before coming into force of these rules w[illegible] flying club or institution shall be exem[illegible]ted from application of this rule".

(ii) in Schedule II,—

(a) after sub-para (1) of paragraph 1 [illegible] Sections D,E,F,M,N,O,P and Q, [illegible] following sub-para shall be insert[illegible] namely :—

"(aa) Educational Qualification—He [illegible] shall have passed 10+2 or equival[illegible] examination with Physics and Ma[illegible]matics from a recognised Board [illegible] University";

(b) in Section P, the existing education[illegible] qualification laid down in para (c) sh[illegible] be deleted.

[F. No. AV.11012/9/9[illegible]-A[illegible]

P. K. BANERJI, Jt. Sec[illegible]

FOOT NOTE : The Principal Rules were pu[illegible]lished vide notification No. V-26 dated 23rd March 1937 in the Gazette of India Part I dated 2[illegible] March, 1937 and subsequently amended vid[illegible] Gazette Notification.

(1) No. GSR 1238 dated 8-9-1962

(2) No. GSR 881 dated 6-6-1964

(3) No. GSR 129 dated 16-1-1965

(4) No. GSR 711 dated 3-5-1965

(5) No. GSR 182 dated 17-1-1969

(6) No. GSR 1045 dated 21-4-1969

(7) No. GSR 411 dated 15-3-1971

(8) No. GSR 1235 dated 1-12-1984

(9) No. GSR 292(E) dated 23-3-1985

(10) No. GSR 471(E) dated 1-6-1985